

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-307/17 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

79

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सिवान/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/सहरसा ।

पटना, दिनांक:-

18.10.17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-
26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2954 दिनांक-23.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष- 2017-18 में 31 मार्च 2018 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	सिवान	04	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	400000/- (चार लाख)	जिला पदाधिकारी, सिवान का पत्रांक-539, एवं 541 दोनों दिनांक-22.09.2017 तथा पत्रांक- 584 एवं 586 दोनों दिनांक-10.10.2017 के आलोक में (1) स्व० महेंद्र कुमार यादव, आश्रित लाखपति देवी (माता), ग्राम+ पो०-तेलकथु, थाना-एम0एच0 नगर, प्रखण्ड- हसनपुरा, जिला-सिवान (2) स्व० रवीन्द्र कुमार प्रसाद, आश्रित-नीलम कुंवर (पत्नी), ग्राम-सूर्यपुरा, पो०-किसुनपुरा, थाना+प्रखण्ड- बसंतपुर, जिला-सिवान (3) मृतक-स्व० ओमप्रकाश, आश्रित मालती देवी (पत्नी), ग्राम-मीराचक, पो०-कोल्हुआ, थाना-दरौंदा, प्रखण्ड-दरौंदा, जिला-सिवान (4) मृतक-स्व० गुड्डू कुमार भारती, आश्रित-मंजू देवी (माता), ग्राम-अफराद, पो०-पोखरा, थाना-महाराजगंज, प्रखण्ड-महाराजगंज, जिला-सिवान के भुगतान हेतु ।
2	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, मोतिहारी का पत्रांक-851 एवं 852 दोनों दिनांक-07.10.2017 के आलोक में (1) मृतक स्व० रामप्रवेश ठाकुर, आश्रित-सरिता देवी (पत्नी), ग्राम-महदेवा पो०-खुरहिया, थाना+ प्रखण्ड-घोड़ासहन, जिला-पूर्वी चम्पारण (2) मृतक-स्व० भिखारी गिरी, आश्रित-निर्मला देवी (पत्नी), ग्राम+पो०-जागापाकड़, थाना-हरसिद्धि, जिला-पूर्वी चम्पारण के भुगतान हेतु ।

4	सहरसा	07	700000/- (सात लाख)	जिला पदाधिकारी, सहरसा का ज्ञापांक-566, 567, 568, 569, 570, 571 एवं 572 सभी दिनांक-23.8.17 के आलोक में (1) स्व० मदन साह, आश्रित-बिजली देवी(पत्नी), ग्राम-लक्ष्मीपुर, वार्ड नं०-10, पंचायत-पतरघट, थाना-सौरबाजार जिला-सहरसा (2) स्व० राज कुमार, आश्रित-मीना देवी (माता), ग्राम-हरिपुर, पो०+ थाना+ प्रखंड-सलखुआ, जिला-सहरसा (3) स्व० आशुतोष कुमार झा, आश्रित-काजल कुमारी (पत्नी), ग्राम+पो०-लगमा, थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा (4) स्व० विकास कुमार मंडल, आश्रित-मीनू देवी(माता), ग्राम+पो०-पामा, थाना-सौरबाजार, प्रखंड-पतरघट, जिला-सहरसा (5) स्व० अब्दुल कलाम, आश्रित-जुलेखा खातुन (माता), ग्राम-धरहरा, पो०-मुरादपुर, थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा (6) मृतक-स्व० नारायण गुप्ता, आश्रित-सरिता देवी (पत्नी), ग्राम+पो०- सत्तर, थाना-बिहरा, जिला-सहरसा (7) स्व० गोविंद साह, आश्रित-पुनम देवी(पत्नी), ग्राम-नया टोला, पो०+थाना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा के भुगतान हेतु ।
	कुल	13	1300000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 13,00,000/- (₹ तेरह लाख) मात्र ।

- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र०सं०-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

79

पटना, दिनांक-

18-10-17

*स्पीड
पोस्ट

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा पदाधिकारी-01 को गै.स.प्रे.सं.-367 (श्रम पक्ष) दिनांक-16.10.17 एवं संयुक्त श्रमायुक्त-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.- 368 (श्रम पक्ष) दिनांक-17.10.17 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा।

18/10/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-307/17 श्र0सं0-

79

पटना, दिनांक

18-10-17

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/10/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।